

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 615

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2025-03253

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "नाकोड़ा जी ट्रेड सेंटर-2", प्रमोटर-नकोड़ा जी एसोसिएट्स, द्वारा-श्री नवदीप जैन, पता-पटवारी ट्रेनिंग सेंटर के सामने, सुंदर नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"नाकोड़ा जी ट्रेड सेंटर-2" पता-डूमरतराई, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
12/03/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "नाकोड़ा जी ट्रेड सेंटर-2" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA19042300627 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 19.04.2023 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-04 एवं धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है।</p> <p>अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 10.12.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 10.01.2023 को भवन पूर्णता सह अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का भवन पूर्णता सह अधिभोग प्रमाण पत्र प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। अस्तु प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 615

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2025-03253

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "नाकोड़ा जी ट्रेड सेंटर-2", प्रमोटर-नकोड़ा जी एसोसिएट्स, द्वारा-श्री नवदीप जैन, पता-पटवारी ट्रेनिंग सेंटर के सामने, सुंदर नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"नाकोड़ा जी ट्रेड सेंटर-2" पता-डूमरतराई, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	